न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 51/24

GCMS NO 2024/118

मोजीराम पुत्र माधोलाल जाति मीना निवासी ग्राम मैनपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. हनुमान प्रसाद पुत्र माधोलाल
2. श्रीमती ममता पत्नि हनुमान प्रसाद
3. शंकर पुत्र माधोलाल
4. माधोलाल पुत्र मोहरपाल सभी जातियान मीना निवासीयान ग्राम मैनपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 55/23 निर्णय दिनांक 27.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री भंवर सिह जादौन

अभिभाषक रैस्पो0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय

दिनांक 15.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ग्राम मैनपुरा का स्थाई निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व तीन प्रार्थी के सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती ममता अप्रार्थी न0 1 की पत्नि है तथा अप्रार्थी न0 4 प्रार्थी के पिता है। प्रार्थी रामचन्द्रा ,माधोलाल,मोहरपाल उर्फ मोरपाल ,मोजीराम ,हनुमान, शंकर प्रार्थी के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 1182 रकबा 0.31 है0, 1195 रकबा 0.20 है0, 1201 रकबा 0.50 है0, 1465 रकबा 0.21 है0, 1484 रकबा 0.07 है0, 1641 रकबा 0.02 है0, 1644 रकबा 0.24 है0, 1652 रकबा 0.10 है0, 18 रकबा 0.50 है0, 19 रकबा 0.08 है0, 1908 रकबा 0.09 है0, 1912 रकबा 0.12 है0, 2445/1597 रकबा 0.15 है0, 2446/1598 रकबा 0.03 है0, 2447/1679 रकबा 0.28 है0, 2448/2391 रकबा 0.04 है0, 2449/2210 रकबा 0. 08 है0, 2450/856 रकबा 0.12 है0, 2451/1574 रकबा 0.41 है0,2452/1687 रकबा 0.13 है0, 2453/1682 रकबा 0.05 है0, 351/2204 रकबा 0.03 है0, 356 रकबा 0.76 है0, 452 रकबा 0.92 है0, 427/2263 रकबा 0.01 है0, कुल किता 25 कुल रकबा 5.44 है0 कृषि भूमि ग्राम मैनपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे थी उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल को उनके पिता रामचन्द्रा से विरासत मे प्राप्त हुई थी तथा प्रार्थी के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल की मृत्यु होने पर उपरोक्त भूमि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी न0 4 माधोलाल को प्राप्त हुई। तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उपरोक्त सम्पति प्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार की पैतृक सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थी के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल ने उनके जीवन काल मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य 1/4 हिस्सो मे बंटवारा कर दिया जिसमे प्रार्थी को आराजी ख0न0 18/0.50, 19/0.58,1908/0.09,1465/0.07 है0 तथा 2445/1597 0.15 है0 मे हिस्सा 1/3, 2446/1598 रकबा 0.03 है0 मे हिस्सा 1/3, 2451/1574 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/3, 356 रकबा 0.75 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.40 है0 दिया गया। प्रार्थी के दादाजी ने मद न0 3 मे वर्णित ग्राम मैनपुरा मे स्थित पैतृक कृषि भूमि से ख0न0 2447/1679 रकबा 0.28 है0, 2450/856 रकबा 0.12 है0, 2453/1642 रकबा 0.05 है0, 351/2204 रकबा 0.75 है0, 422 रकबा 0.92 है0, 427/2263 रकबा 0.01 है0, 2448/2391 रकबा 0.04 है0, 2449/2210 रकबा 0.08 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.53 है0 की भूमि बंटवारा कर प्रार्थी के पिताजी अप्रार्थी न0 4 माधोलाल को दी थी जिस पर प्रार्थी के पिताजी माधोलाल अप्रार्थी न0 4 का कब्जा काश्त है। इसी प्रकार खसरा न0 2338/1465 रकबा 0.28 है0, 1182 रकबा 0.31 है0, 1195 रकबा 0.20 है0, 1201 रकबा 0.50 है0, 1641 रकबा 0.02 है0, 1644 रकबा 0.24 है0, 1652 रकबा 0.12 है0, 1912 रकबा 0.12 है0, 2445/1597 रकबा 0.15 है0 हिस्सा 2/3, 2446/1598 रकबा 0.03 हिस्सा 2/3, 2451/1574 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 2/3, 2452/1687 रकबा 0.13 है0, 356 रकबा 0.75 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.05 है0 अप्रार्थी न0 1 हनुमान प्रसाद व अप्रार्थी न0 3 शंकर को दी थी जिस पर उनका संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी के पिताजी माधोलाल ने आराजी ख0न0 2338/1465 रकबा 0.28 है0 ग्राम मैनपुरा कृषि भूमि जो अप्रार्थी न0 1 हनुमान प्रसाद व तीन शंकर के हिस्से मे आई थी उपरोक्त कृषि भूमि के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री अप्रार्थी न0 1 हनुमान प्रसाद व अप्रार्थी न0 3 शंकर ने आपसी सहमति से प्रार्थी के पिजा माधोलाल से विक्रय पत्र की रजिस्ट्री अप्रार्थी न0 1 हनुमान प्रसाद की पत्नि ममता के नाम करा दी थी। अप्रार्थी न0 1 हनुमान प्रसाद व अप्रार्थी न0 3 शंकर शामलाती मे रहते है बंटवारे मे आई कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते है। मद न0 3 मे वर्णित समस्त पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न0 4 माधोलाल के नाम है। तथा उपरोक्त समस्त कृषि भूमि का टी आई के मद न0 3 (1)3 (2)3 (3) के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 व 3 तथा अप्रार्थी न0 4 मे मध्य प्रार्थी के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल ने बंटवारा कर दिया था तब से ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण बंटवारे के अनुसार उनके हिस्से पर काबिज है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न0 4 माधोलाल बुजुर्ग व्यक्ति है तथा बीमार रहने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नही है तथा वे अपना भला बुरा समझने मे असमर्थ है। इसलिए अप्रार्थी न0 1 ता 3 के मन मे बेईमानी आ गई है इसलिए वे प्रार्थी के बंटवारे से हिस्से मे आई कृषि भूमि को प्रार्थी को बलपूर्वक बेदखल कर अन्य व्यक्तियो को बेचान करना चाहते है। इसलिए अप्रार्थी को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि टी आई प्रार्थना पत्र के मद न0 3 व मद न0 3 (1)3 (2)3 (3) मे वर्णित समस्त पैतृक कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन,बय विक्रय ,अन्तरण किसी भी प्रकार से नही करे तथा मद न0 3 (1) मे बंटवारे मे प्राप्त पैतृक कृषि भूमि के प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्ति या ऐजेन्ट से बाधा पैदा करावे तथा प्रार्थी को बलपूर्वक बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

(1)3 (2)3 (3) के अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर प्रार्थी/अपीलांट व रेस्पो0 को मौके पर कब्जा संभला दिया था तथा प्रार्थी/अपीलांट की दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल की मृत्यु होने पर उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी माधोलाल के नाम आ गई थी तथा अब रेस्पो0 के मन मे बेईमानी आने के कारण उपरोक्त प्रार्थी/अपीलांट को बंटवारे से प्राप्त पैतृक भूमि को ट्रासफर करने पर आमादा है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। उपरोक्त कृषि भूमि रेस्पो0 संख्या 4 की स्वअर्जित आय से खरीद शुदा सम्पति नही है तथा पैतृक सम्पति को रेस्पो0 को ट्रासफर करने का अधिकार हासिल नही है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति , सुविधा का संतुलन के तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष मे बखूबी साबित नही होने से भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.8.24 को अपास्त किया जाकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मद न0 3 व 3 (1),3 (2),3 (3) मे वर्णित समस्त पैतृक भूमि/विवादित आराजीयात किसी भी व्यक्ति को रहन, बय,विकय ,अंतरण किसी भी प्रकार से नही करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखी जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 4 कर्ता खानदान है तथा सम्पूर्ण आराजीयात का एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 4 के जीवित रहते हुए भूमि का बंटवारा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है अप्रार्थी संख्या 4 की मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। अप्रार्थी संख्या 4 ही एक मात्र सम्पूर्ण आराजीयात का खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 4 ने किसी प्रकार का कोई बंटवारा नही किया है। यदि सहमति के द्वारा बंटवारा होता है तो लैण्ड होल्डर की सहमति की आवश्यकता होती है। खसरा न0 18 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा न0 19 रकबा 0.58 है0 मुख्य सडक नेशनल हाईवे पर है तथा प्रार्थी/अपीलांट की नियत खराब हो गई जिसने बिना विधिवत बंटवारा कराये ही मकान का निर्माण कर लिया गया। जिसका प्रार्थी/अपीलांट को कोई अधिकार नही था। मूल खातेदार का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 4 को अपने खातेदारी की भूमि को पारिवारिक आवश्यकता हेतु विकय करने का पूर्ण अधिकार है। रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 4 के जिवित रहते हुए प्रार्थी को बंटवारा कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम मैनपुरा तहसील सवाई माधोपुर के वर्तमान खाता संख्या 188 मे दर्ज कुल किता 25 कुल रकबा 5.44 है0 पूर्व मे मोहरपाल उर्फ मोरपाल के नाम से खातेदारी मे दर्ज रही है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से होती है। उक्त आराजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल की मृत्यु के पश्चात भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल होने व खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट की बहस सुने बिना ही तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य डिजिटल फोटोग्राफ, विडिया का पेन ड्राईव पंचनामा पर गौर नही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र व उसके समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का अपने निर्णय मे सही निर्वचन नही कर कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट के मद न0 3, 3 (1)3 (2)3 (3) मे वर्णित समस्त कृषि भूमि प्रार्थी/अपीलांट के दादाजी मोहरपाल के नाम की पैतृक भूमि है। जिसका इन्द्राज जमाबंदी बंदोवस्त सम्वत 2059 से 2079 ग्राम मैनपुरा की खतौनी संख्या 136 मे इन्द्राज है। उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवारा प्रार्थी /अपीलांट के दादाजी ने उनके जीवनकाल मे ही कर दिया था तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के मद न0 3, 3 (1)3 (2)3 (3) के अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि पर बंटवारे अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 मौके पर काबिज है। बंटवारे के सर्मथन मे प्रार्थी/अपीलांट ने ग्राम मैनपुरा के वारिया को पंचनामा प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर दिया था तथा प्रार्थी/अपीलांट ने बंटवारे मे अपने हिस्से मे आये कब्जे शुदा ख0न0 18 रकबा 0.50 है0 व ख0न0 19 रकबा 0.58 है0 मे अपना रहने का रिहायशी मकान व झोपडी बना रखी है। तथा उसमे पानी की बोरिंग लगा रखी है। जिसके कब्जे के फोटोग्राफ व विडियो का पेन ड्राईव अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया था जिसका अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे निर्वचन नही कर कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने रेस्पो0 संख्या 4 से विधिविरूद्व तरीके से दौराने दावा अपीलांट को बंटवारे मे प्राप्त पैतृक सम्पति आराजी ख0न0 18 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम मैनपुरा जो बंटवारे मे अपीलांट के हिस्से मे आई थी जिस पर अपीलांट का ही कब्जा था उपरोक्त कृषि भूमि को रेस्पो0 संख्या 4 ने विधि विरूद्व तरीके से रेस्पो0 संख्या 3 शंकर और रेस्पो0 संख्या 1 हनुमान के पक्ष मे जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से दिनांक 29.12.23 को ट्रासफर कर दी थी। इस तरह से रेस्पो0 षडयंत्र रचकर प्रार्थी/अपीलांट को बंटवारे से प्राप्त कृषि भूमि को ट्राफसर/अंतरण करने पर आमादा है तथा पैतृक कृषि भूमि को ट्रासफर करने का रेस्पो0 को कोई कानूनी अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 मे राजस्व ग्राम मैनपुरा के वर्तमान खाता संख्या 188 मे अंकित कुल किता 25 कुल रकबा 5.44 है0 को पैतृक कृषि भूमि माना है। तथा वह भूमि पहले प्रार्थी/अपीलांट के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल के नाम थी जिसका उन्होने उनके जीवनकाल मे ही प्रार्थी/अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के मद न0 3, 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 4 माधोलाल पुत्र मोहरपाल के नाम जरिये नामा0 दर्ज हुई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त भूमि का अपीलांट के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल ने उनके जीवनकाल मे ही अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य 1/4 हिस्सो मे बंटवारा कर उनको मौके पर कब्जा संभला दिया था, इस प्रकार विवादित आराजीयात का बंटवारा हो चुका है। अपीलांट द्वारा इस कथन के संदर्भ मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। जिससे अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होती हो। यदि अपीलांट के दादाजी मोहरपाल उर्फ मोरपाल ने उनके जीवनकाल मे आराजी का बंटवारा किया होता तो उसका अमल राजस्व रिकार्ड मे होता। पत्रावली मे इस प्रकार का कोई दस्तावेज नही है जिससे अपीलांट के इस कथन की भी पुष्टि होती हो। जवकि कानूनन यदि किसी रिकार्डेड खातेदार द्वारा अपने जीवन काल मे आराजी का बंटवारा किया जाता है तो उसके लिए विधि के प्रावधानो के तहत भूमि को हस्तान्तरित किया जा सकता है या सक्षम न्यायालय के आदेश के द्वारा ही भूमि को हस्तान्तरित किया जा सकता है। विवादित आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 मे माधोलाल पुत्र मोहरपाल हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड है जिससे यह सावित है कि भूमि का बंटवारा नही हुआ है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि पैतृक सम्पति को बेचान करने का अधिकार अपीलांट के पिता माधोलाल को नही था। जबकि कर्ताखान दान को अपने परिवार की आवश्यकताओ हेतु भूमि को बेचान करने का पूर्ण अधिकार होता है। विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे माधोलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज है। विधि अनुसार किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निर्षेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि सम्मत नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 55/23 मे पारित निर्णय दिनांक 27.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner